INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Signature:-
ACC Name:- ANURAG SAXENA
ACC Code:- UP14812604
License No.:- 02/2022
Mobile No.:- 9359540641
ACC Address:- Collectrate Compound Distt. Bulandshahr

49-IV

Certificate No.	:	IN-UP86724090016097V
Certificate Issued Date	:	17-Apr-2023 02:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14812604/ BULANDSHAHR SADAR/ UP-BLS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1481260467725483407160V
Purchased by	:	R K EDUCATION AND WELFARE TRUST BY MT SHAHID ALI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	R K EDUCATION AND WELFARE TRUST BY MT SHAHID ALI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	R K EDUCATION AND WELFARE TRUST BY MT SHAHID ALI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यापनकर्ता (नि०लि०)
लॉक कर्ता (वा०नि०)
18/4/2023

UMAR
Advocate
Reg. No. UP/C 00963/18
COP No. 201176, Ch. No. 194
Collectorate Compound, Bulandshahr
Mob. No. 9837381381

IN-UP86724090016097V

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

स्टाम्प शुल्क रू0 750.00

आर. के. एजूकेशन एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट
स्याना रोड, औरंगाबाद,
तहसील व जनपद-बुलन्दशहर

मैं कि **शाहिद अली** (आधार क्रमांक XXXX XXXX 5148) (आयकर पेनकार्ड संख्या AJBPA1179N)(मोबाइल नं0 9719204949), आयु लगभग 47 वर्ष, पुत्र श्री रफीक अहमद, निवासी स्याना रोड, औरंगाबाद, तहसील व जनपद बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) का हूं, कि जिसे

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

PU 0003532272

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी कहा गया है, के द्वारा शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा से (1) श्री मौहम्मद जाहिद पुत्र श्री रफीक, निवासी सड़क स्याना, औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर; (2) श्री कदीर पुत्र श्री मौहम्मद रफीक, निवासी स्याना रोड, कस्बा औरंगाबाद, तहसील व जनपद बुलन्दशहर; (3) श्री मौहम्मद अली पुत्र श्री रफीक अहमद, निवासी सड़क स्याना–2, कस्बा औरंगाबाद, तहसील व जनपद बुलन्दशहर; व (4) श्री मौहम्मद शाह आलम पुत्र श्री मौहम्मद कय्यूम, निवासी मकान नं0 367, एकमीनार मस्जिद वाली गली, फैसलाबाद, बुलन्दशहर को उनके द्वारा प्रदत्त सहमति से आजीवन ट्रस्टी बनाते हुए उपरोक्त न्यास **''आर. के. एजूकेशन एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट''** की स्थापना की गयी थी, जो कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय बुलन्दशहर में बही संख्या 4 जिल्द संख्या 94 पृष्ठ सं0 327 से 362 पर क्रमांक 85 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था, परन्तु **उपरोक्त चारों ट्रस्टीज ने अपने–अपने व्यक्तिगत कारणों से ट्रस्ट की मीटिंगों में उपस्थित न होने तथा ट्रस्ट के लिए समय न पाने के कारण आजीवन सदस्यता से दिनांक 20–03–2023 को संयुक्त रूप से त्याग–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिसे मुझ अवस्थापक/ मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।** इस कारण ट्रस्ट के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट के पुर्नगठन की आवश्यकता है। **इसी दृष्टि से अब मुझ अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुरोध पर श्रीमती शबाना परवीन पत्नी श्री शाहिद अली, निवासी कस्बा औरंगाबाद, तहसील व जनपद बुलन्दशहर, जिन्हें ''ट्रस्टी'' के नाम से पुकारा जायेगा, ने ट्रस्टी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया है, जो इस ट्रस्ट की आजीवन सदस्य रहेंगी। अतएव ट्रस्ट का पुर्नगठन करते हुए उपरोक्त ट्रस्ट का पुनः पंजीकरण कराया जा रहा है।**

और जबकि यह आवश्यक है कि जिस सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए न्यास का जिन प्रस्तुतियों के अधीन पुर्नगठन किया गया है, उसके उद्देश्य और कर्त्तव्यों की घोषणा कर दी जाये।

यह ट्रस्ट विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :

1. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट के नाम से पंजाब नेशनल बैंक, शाखा औरंगाबाद में एकाउन्ट नं0 1619002100008790 संचालित है, जिसमें वर्तमान में लगभग अंकन रू0 7458–00 विद्यमान है, जिन्हें मुझ अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी ने ट्रस्ट के पुर्नगठन पर ट्रस्ट को समर्पित कर दिया है (जिसे एतद्पश्चात् ''न्यास निधि'' के नाम से

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

पुकारा जायेगा, जिस अभ्युक्ति में नकद या कोई अन्य सम्पत्ति या किसी प्रकार का कोई निवेश शामिल होगा, जिसे समय–समय पर किसी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है या भिन्न रूप दिया जा सकता है या ट्रस्टी उसका अधिग्रहण कर सकते हैं या इन प्रस्तुतियों के मुताबिक उनके कब्जे में आ सकते हैं या कानून के परिचालन से या अन्यथा इन प्रस्तुतियों से संबंधित हों), और न्यासी इन्हें अपने पास रखेंगे और न्यास के नाम पर इनके काबिज रहेंगे, जिन पर एतद्पश्चात् बताई गई शक्तियां, प्राविधान, समझौते और घोषणाऐं लागू होंगी।

2. यह कि न्यास का नाम पूर्ववत् **''आर. के. एजूकेशन एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट''** ही रहेगा और इसका कार्यालय भी अवस्थापक /मैनेजिंग ट्रस्टी के पैतृक आवास स्थित **स्याना रोड, औरंगाबाद, तहसील व जनपद बुलन्दशहर** (उत्तर प्रदेश) पर ही स्थित रहेगा, जो ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं होगा और/या किसी ऐसे स्थान पर स्थित होगा, जिसका निर्णय न्यासीगण समय–समय पर करेंगे।

3. यह कि उपरोक्त धनराशि, जिसे आगे ''न्यास निधि'' कहा गया है तथा भविष्य में न्यास की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति, सावधि जमा अथवा चालू राशि, जो न्यास को समय–समय पर प्राप्त हो, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अन्य न्यासी धारण करेंगे तथा उक्त न्यास की चल व अचल सम्पत्ति को सभी बतौर न्यासीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे। वर्तमान में ट्रस्ट के बैंक एकाउन्ट में जमा उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास किसी प्रकार की कोई अन्य चल या अचल सम्पत्ति नहीं है।

4. यह कि अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं न्यासीगण न्यास निधि तथा न्यास पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्द्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, जैसा कि ट्रस्ट के उद्देश्यों में उल्लेख है, जैसे कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अन्य ट्रस्टीज को समय–समय पर भूमि प्राप्त करने,

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों से प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। देश की विभिन्न संस्थाओं एवं एन.जी.ओ. से आर्थिक सहायता प्राप्त करने व उससे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने का अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अन्य न्यासी न्यास के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहें, सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :</u>

(1) बालक–बालिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, टैक्नीकल कॉलेज एवं लॉ कॉलेज तथा सी.बी.एस.ई. (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) पद्धति पर विद्यालय की स्थापना व संचालन करना, कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना एवं उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास एवं चारित्रिक निर्माण करना।

(2) अस्पतालों, चिकित्सा विद्यालयों, चिकित्सा कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों, डिस्पेंसरियों, प्रसूति गृहों, बाल कल्याण केन्द्रों और/या अन्य इसी प्रकार के समान धर्मार्थ संस्थानों को सामान्य जनता के लाभ और उपयोग के लिए धन या किन्हीं वस्तुओं के रूप में अनुदान /सहायता स्थापित करना, उसका विकास करना और उसका रख–रखाव करना।

(3) विद्यालयों, कॉलेजों, लाइब्रेरियों, पठन कक्षों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान और इसी प्रकार के संस्थानों के लिए विद्यार्थियों और स्टाफ और आम जनता के बीच शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए और उनमें ज्ञान के प्रसार के लिए भी अनुदान सहायता या अन्य वित्तीय सहायता स्थापित करना, आवासीय, गौर आवासीय स्थापित करना, उसे चलाना और उसे सहयोग देना।

(4) विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना और चलाना तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना,

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

जिनमें पुस्तकें, वजीफे , मैडल और अध्ययन के लिए अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं, जो कि जाति, रंग, वंश, मत या लिंग के भेदभाव से परे हों।

(5) भारत में विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिए, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और इसी प्रकार के उद्देश्य रखने वाले अन्य संस्थानों के लिए आम जनता के लाभ के लिए बढ़ावा देना, स्थापित करना, समर्थन देना और उसका रख–रखाव करना या अनुदान सहायता देना।

(6) आम जनता के प्रयोग के लिए पार्क, बाग, जिमनैजियम, स्पोर्ट्स क्लब, विश्राम गृहों की स्थापना करना और/या उनके रख–रखाव के लिए अनुदान सहायता स्थापित करना और उनका रख–रखाव करना।

(7) निर्धन, जरूरतमंद और बेसहारा व्यक्तियों, अनाथ, विधवा और बुजुर्गों को राहत देने और उनकी सहायता करने के लिए वृद्धाश्रम, अनाथालय या अन्य संस्थापनाऐं करना या उन्हें अनुदान/सहायता प्रदान करना।

(8) शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग या मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए संस्थाप स्थापित करना और उनका विकास करना, उन्हें शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र या अन्य जीवन उपयोगी सहायता /सामग्री प्रदान करना।

(9) प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि अकाल, भूकम्प, बाढ़, आग, महामारी आदि के दौरान जरूरतमंद पीड़ितों को राहत और सहायता प्रदान करना और इसी प्रकार के राहत कार्यों में जुटे हुए अन्य संस्थानों, स्थापनाओं या व्यक्तियों को दान और अन्य सहायता प्रदान करना।

(10) मरघटों/शमशान भूमियों/कब्रिस्तान व मन्दिर/मस्जिद का निर्माण, मरम्मत और उनकी व्यवस्था करना।

(11) अन्य सार्वजनिक, धर्मार्थ, शैक्षणिक, हॉस्पिलटी एवं स्पोर्ट्स न्यासों या संस्थानों को सहायता/अनुदान देना या उनकी सहायता करना।

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

(12) ई.डी.पी. कार्यक्रम कराना, उनका संचालन करना तथा जनसेवार्थ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अंगीकार कर उनका कार्यान्वयन करना तथा अनुदान आदि प्राप्त करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था के नाम से देश विदेश में भूमि/भवन आदि खरीदना या किराये/पट्टे पर लेना या देना तथा धन/दान/चन्दा /उपहार आदि प्राप्त करना व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य साधन जुटाना व प्राप्त धन को केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने हेतु व्यय करना।

(14) उक्त ट्रस्ट की स्थापना बिना किसी लाभ (Not for Profit) के उद्देश्य से की गई है अर्थात् उक्त न्यास की स्थापना समाज के हित व शैक्षणिक विकास के लिए की गयी है।

कार्यक्षेत्र :

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

न्यासीगण/ट्रस्टीगण के अधिकार, कर्त्तव्य एवं नियुक्ति :

8. यह कि अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं न्यासीगण को न्यास निधि की आय व उसके किसी भाग को, जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें, जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय न्यास के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं न्व्यासीगण न्यास निधि या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर, जैसा उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

10. यह कि अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को ट्रस्टी बना सकेंगे, जो सदाचारी हों और ट्रस्ट के उद्देश्यों से सहमत हों। सभी ट्रस्टीज को मिलाकर एक प्रबन्धकारिणी समिति नामित कर सकेंगे, जिसमें अन्य पदों का सृजन किया जा सकेगा। वर्तमान में अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं केवल एक अन्य ट्रस्टी है। ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में स्थापित/संचालित किये जाने वाले स्कूल/कॉलेज/हॉस्पिटल/

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

इन्सटीट्यूट अथवा अन्य संस्थान आदि के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को पृथक से प्रबन्धकारिणी समिति मनोनीत करने का अधिकार होगा।

11. यह कि वर्तमान में न्यास/ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी निम्न है :

(1) श्री शाहिद अली अध्यक्ष
(2) श्रीमती शबाना परवीन कोषाध्यक्ष

वर्तमान प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। भविष्य में बनाये गये नवीन ट्रस्टी, ट्रस्ट की साधारण सभा के साधारण ट्रस्टी कहलायेंगे। ट्रस्ट के प्रबन्ध एवं संचालन के लिए भविष्य में पदों का सृजन किये जाने की दशा में साधारण ट्रस्टी में से अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त करेंगे, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। कोई भी पदाधिकारी/ट्रस्टी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है तो अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा ऐसा रिक्त पद साधारण ट्रस्टीज में से अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। त्याग–पत्र देने वाले ट्रस्टी/पदाधिकारी के समस्त अधिकार ट्रस्ट से समाप्त हो जायेंगे।

12. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे :

अध्यक्ष :

ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अन्य ट्रस्टीज का सहयोग लेना तथा ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से समस्त कानूनी एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन करना। ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव एवं आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार बुलाना तथा उनकी कार्यवाही का पूर्ण विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित करना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए, उसकी प्रति सभी ट्रस्टीज को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल–अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रखना तथा उनकी सुरक्षा करना।

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

कोषाध्यक्ष :

ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना, उसका ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय, जो अध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो, उसको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के नाम से खोले जाने वाले बैंक एकाउन्ट्स का संचालन अध्यक्ष के साथ करना।

13. यह कि, ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य, जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा आहूत की जायेगी जिसमें कोई भी प्रस्ताव/निर्णय बहुमत से लिया जायेगा, परन्तु किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन होने की स्थिति में अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

14. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु प्रबन्ध समिति, जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं अध्यक्ष व अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को संबंधित कार्यो, उद्देश्यों के संचालन के पूर्ति के लिए, जो अधिकार अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी उचित समझें, प्रदान करने की शक्ति होगी, इनमें अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है।

15. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से संबंधित कार्य हेतु, किसी भी एजेन्ट, जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. यह कि, ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम चार बार अवश्य होगी, जिसकी सूचना प्रस्तावित बैठक के विषय सहित सभी ट्रस्टीज को 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी, परन्तु किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित आपात बैठक की सूचना सभी ट्रस्टीज को सात दिन पूर्व भेजी जायेगी। ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी, परन्तु अवस्थापक/मैनेजिंग

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

ट्रस्टी को अन्य स्थान पर, जहां वह उचित समझें, बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

17. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण/बैंक ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बन्धक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उधार/ऋण/बैंक ऋण/बैंक गारन्टी लेने का भी पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार बन्धक करने का अधिकार भी होगा। अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. यह कि, अध्यक्ष व अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अधिकृत किसी भी ट्रस्टी को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर, जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो, को प्राप्त करने व धारण करना चाहें, पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, किराये पर देने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. यह कि, ट्रस्ट से संबंधित सभी विवादों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार जनपद बुलन्दशहर होगा।

20. यह कि, सभी संबंधित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंक, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति, जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर, परन्तु उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो, तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे।

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

21. यह कि, ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था, जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो, में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्टस– खातों व अन्य सभी बैंकिंग खाते ट्रस्ट के नाम से अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोले जायेंगे, जिनका संचालन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।

22. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनके हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम, नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा। वर्तमान ट्रस्टीज को अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी अपने पद पर नामित करने का अधिकार होगा।

23. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट की स्थापना के समय बनाये गये ट्रस्टीज तथा भविष्य में बनाये गये ट्रस्टीज को ट्रस्ट सदस्यता प्रदान करते समय यह प्रावधान कर सकेंगे कि ऐसे ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने अथवा उनकी मृत्यु की दशा में उनके बच्चे ट्रस्टी के रूप में उनके स्थान पर मनोनीत किये जा सकेंगे अथवा नहीं।

25. यह कि, अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय–व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे, जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि, ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में नियमानुसार सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त अन्तरण

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

करना, क्रय करना, किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार नियमानुसार अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी को होगा और अन्य ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे। **इस न्यास पत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की चल/अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण या व्यवस्थापन (Settlement) नहीं किया जा रहा है।**

27. **सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य प्रावधान :**

(1) विद्यालय की पैतृक संस्था सोसाइटी होने की दशा में सोसाइटी का पंजीकरण समय–समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/ बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता रीजनल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

(11) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

28. यह कि, एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश अध्यक्ष व अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अन्य ट्रस्टीज उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर समउद्देशीय ट्रस्ट में समायोजन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी ने अपने हस्ताक्षर किये।

(शाहिद अली)
अवस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्ट

साक्षीगण :

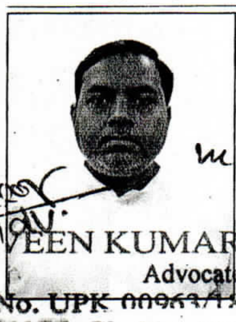

(1) श्री फईमुद्दीन पुत्र श्री सगीर अहमद,
(आधार सं0 XXXX XXXX 8455)(मो0नं0 8938960786)
निवासी ग्राम परवाना महमूदपुर,
तहसील व जनपद बुलन्दशहर

PRAVEEN KUMAR
Advocate
Reg. No. UPK 00963/18
COP No. 201176, Ch. No. 194
Collectorate Compound, Bulandshahr
Mob. No. 9837381381

(2) श्री मान पुत्र श्री छोटिया,
(आधार सं0 XXXX XXXX 1735)(मो0नं0971943581[illegible])
निवासी भावसी रोड औरंगाबाद(बुलन्दशहर)

दिनांक 17 अप्रैल, 2023 ई0

मसौदानिगार – प्रवीण कुमार,एडवोकेट (पंजीकरण संख्या उ.प्र. के. 0963/2018)
कलक्ट्रेट परिसर, बुलन्दशहर।

टाइपकर्त्ता – राजा राम, कलक्ट्रेट परिसर, बुलन्दशहर

PRAVEEN KUMAR
Reg. No. UPK 00963/18
COP No. 201176, Ch. No. 194
Collectorate Compound, Bulandshahr
Mob. No. 9837381381

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

सेवा में,

श्रीमान प्रबन्धक महोदय जी,
आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट
औरंगाबाद बुलंदशहर (उ० प्र०)

विषय : **अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के सम्बन्ध में |**

महोदय जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी मौ० जाहिद पुत्र मौ० रफीक औरंगाबाद बुलंदशहर का निवासी है | मैं आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ | मैं अपने निजी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण मैं ट्रस्ट के किसी भी कार्यों में अपना समय नहीं दे पाता हूँ इस कारण से मैं अपने आजीवन सदस्य के पद से त्याग पत्र देना चाहता हूँ |

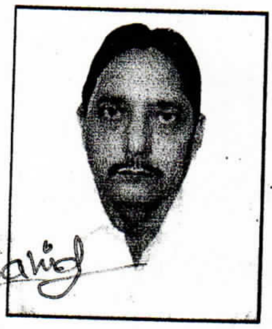

अतः मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें |

आपकी महान कृपा होगी |

दिनाँक: 20/03/2023

स्थान औरंगाबाद

धन्यवाद | Zahid

नाम: मौ० जाहिद पुत्र मौ० रफीक
पता: स्याना रोड औरंगाबाद बुलन्दशहर

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

सेवा में,

श्रीमान प्रबन्धक महोदय जी,
आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट
औरंगाबाद बुलंदशहर (उ० प्र०)

विषय : **उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के सम्बन्ध में |**

महोदय जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी मौ० कदीर पुत्र मौ० रफीक निवासी औरंगाबाद बुलंदशहर का निवासी है | मैं आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ | मैं अपने निजी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण मैं ट्रस्ट के किसी भी कार्यों में अपना समय नहीं दे पाता हूँ इस कारण से मैं अपने आजीवन सदस्य के पद से त्याग पत्र देना चाहता हूँ |

अतः मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें |

आपकी महान कृपा होगी |

M/o Kadeer

धन्यवाद | M/o Kadeer

नामः मौ० कदीर पुत्र मौ० रफीक
पताः औरंगाबाद बुलंदशहर

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

आवेदन सं०: 202300746007514

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 49	वर्ष: 2023

प्रतिफल- 7458 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री शाहिद अली ,
पुत्र श्री रफीक अहमद
व्यवसाय : अन्य
निवासी: स्याना रोड औरंगाबाद तहसील व् जनपद बुलंदशहर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 18/04/2023 एवं 10:27:37 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जगदीश प्रसाद प्रभारी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
बुलन्दशहर
18/04/2023

रवि कान्त गौड
निबंधक लिपिक
18/04/2023

प्रिंट करें

सेवा में,

श्रीमान प्रबन्धक महोदय जी,
आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट
औरंगाबाद बुलंदशहर (उ० प्र०)

विषय : **उपप्रबंधक पद से त्याग पत्र देने के सम्बन्ध में ।**

महोदय जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी मौ० अली पुत्र रफीक अहमद निवासी औरंगाबाद बुलंदशहर का निवासी है । मैं आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में उपप्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ । मैं अपने निजी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण मैं ट्रस्ट के किसी भी कार्यों में अपना समय नहीं दे पाता हूँ इस कारण से मैं अपने आजीवन सदस्य के पद से त्याग पत्र देना चाहता हूँ ।

अतः मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें ।

आपकी महान कृपा होगी ।

धन्यवाद ।

नाम: मौ० अली पुत्र रफीक अहमद
पता: औरंगाबाद बुलंदशहर

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

आवेदन सं०: 202300746007514

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 49 | वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री शाहिद अली, पुत्र श्री रफीक अहमद

निवासी: स्याना रोड औरंगाबाद तहसील व् जनपद बुलंदशहर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री फईमुद्दीन , पुत्र श्री सगीर अहमद

निवासी: ग्राम परवाना महमूदपुर तहसील व् जनपद बुलंदशहर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री मान , पुत्र श्री छोटिया

निवासी: भावसी रोड औरंगाबाद तहसील व् जनपद बुलंदशहर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जगदीश प्रसाद प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
बुलन्दशहर
18/04/2023

रवि कान्त गौड
निबंधक लिपिक बुलन्दशहर
18/04/2023

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

प्रिंट करें

सेवा में,

श्रीमान प्रबन्धक महोदय जी,
आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट
औरंगाबाद बुलंदशहर (उ० प्र०)

विषय : **कोषाध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के सम्बन्ध में |**

महोदय जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी मौ० शाहआलम पुत्र मौ० कय्यूम निवासी मोहल्ला फैसलाबाद बुलंदशहर का निवासी है | मैं आर० के० एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ | मैं अपने निजी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण मैं ट्रस्ट के किसी भी कार्यों में अपना समय नहीं दे पाता हूँ इस कारण से मैं अपने आजीवन सदस्य के पद से त्याग पत्र देना चाहता हूँ |

अतः मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें |

आपकी महान कृपा होगी |

20/03/2023

धन्यवाद |

नाम: मौ० शाहआलम पुत्र कय्यूम
पता: मोहल्ला फैसलाबाद बुलन्दशहर

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

आवेदन सं०: 202300746007514

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 115 के पृष्ठ 159 से 190 तक क्रमांक 49 पर दिनाँक 18/04/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्ष

J. Prasad
जगदीश प्रसाद प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
बुलन्दशहर
18/04/2023

प्रिंट करें